

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2742]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2015/अग्रहायण 26, 1937

No.2742]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2015/ AGRAHAYANA 26, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3440(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 20.08.1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 591(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “हाजी अब्दुल माजिद मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट, डाक घर होजई, गांव गोपाल नगर, जिला नगांव, असम-782435” द्वारा “होजई, जिला नगांव, असम में अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के भवन निर्माण, उपस्कर, साज-सज्जा और संचालन” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 7593.00 लाख रुपए की प्रक्षेपित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 17.11.2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 1030(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 19.03.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 378(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 481(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 14.10.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2615(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3182(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि परियोजना के लिए बढ़ाई गई निधियों के उपयोग कर लेने के बाद मौजूदा मामले में आगे विस्तार पर विचार किया जाएगा ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “हाजी अब्दुल माजिद मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट, डाक घर होजई, गांव गोपाल नगर, जिला नगांव, असम-782435” द्वारा चलाई जा रही “होजई, जिला नगांव, असम में अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के भवन निर्माण, उपस्कर, साज-सज्जा और संचालन” की परियोजना अथवा स्कीम को 7593.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 266/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ (रा. स.)]

मन्मथ लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)